न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 13 / 2017 (राजसमन्द आर्डर)

माधुलाल पिता शंकरलाल जी जाट, निवासी कुण्डिया, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. मोहनलाल पिता जीतमल जी जाट, निवासी कुण्डिया, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. मु0 चांदी बाई बेवा जी जाट, निवासी कुण्डिया, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (नाम तर्क किया गया)
3. पृथ्वीराज पिता तुलसीराम जी जाट, निवासी कुण्डिया, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. नारूलाल पिता तुलसीराम जी जाट, निवासी कुण्डिया, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
दिनांक 24.05.2017 प्र.सं. 785/2015

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री एस.एस. पालीवाल अभिभाषक अपीलान्ट

2. श्री अक्षय पालीवाल अभिभाषक रे.सं. 1, 3, 4

———::———

निर्णय दिनांक

22–07–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट की ओर से हाल रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षीगण के विरूद्ध आप न्यायालय में इन्द्राज दुरस्ती का वाद संख्या 118/2010 प्रस्तुत किया था, जिसमें दौराने वाद प्रार्थी को प्रतिवादी संख्या 2 बनाया जाकर पक्षकार बनाया गया था। ग्राम कुण्डिया की आराजी नंबर 1361 प्रार्थी के आधिपत्य एवं कब्जे की है। प्रार्थी ने उक्त वाद में अपना अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था, जिन्होंने प्रार्थी का कह रखा था कि हर पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है जब जरूरत पड़ेगी बुला लेंगे, किन्तु उन्होंने प्रार्थी को कोई सूचना नहीं दी। अभी करीब 3–4 माह पूर्व विपक्षी संख्या 1 से 4 पत्थरीगढ़ी करने आये तथा प्रार्थी को कब्जा छोड़ने को कहा, तब प्रार्थी को उक्त निर्णय दिनांक की जानकारी हुई। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 11–01–2013 को प्रार्थी के विरूद्ध की गयी एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त करने का निवेदन किया।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 24–05–2017 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पे"ा की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 3, 4 की ओर से अधिवक्ता श्री एस. एस. पालीवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की मृत्यु हो जाने से उनका नाम तर्क किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय को राजस्व कैम्प में मेरिट पर अपीलान्ट को सुनकर निर्णय करना चाहिए था। अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री पारित की गयी है, जिससे उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं हुआ है। अतः

अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 24–05–2017 अपास्त किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र मात्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रकरण संख्या 118/2010 में दिनांक 11–01–2013 को प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना अधिवक्ता नियुक्त किये जाने का स्वयं कथन किया है, जिससे प्रार्थी का यह कथन निराधार है कि उसे प्रकरण संख्या 118/2010 की जानकारी नहीं है। उक्त आधार पर अपीलान्ट/प्रार्थी का आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन खारिज कर दिया है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय को उक्त आवेदन पर उभयपक्षों को सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए था, क्योंकि पूर्व में भी दिनांक 11–01–2013 को प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी थी, जिससे उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24–05–2017 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान दिनांक 23–09–2019 को अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 22–07–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी

उदयपुर